DQAC

दिनांक 05.12.2024 को श्री अंशुल अग्रवाल, मा0प्र0से0 की अध्यक्षता समाहरणालय, बक्सर में सम्पन्न जिला गुणवत्ता यकीन समिति की बैठक की कार्यवाही (उपस्थिति विवरणी पंजी के अनुसार)

आज दिनांक 05.12.2024 को समाहरणालय, बक्सर में बक्सर जिला गुणवत्ता यकीन समिति–सह–जिला Indeminity Sub Committee की बैठक जिला पदाधिकारी, बक्सर, श्री अंशुल अग्रवाल, मा0प्र0से0 की अध्यक्षता मे सम्पन्न हुई, बैठक में उपस्थिति पंजी में संधारित है। बैठक में निम्नलिखित विषयों पर विचार किया गया :–

1. जिला कोचिंग टीम के पूर्नगठन पर विचार।
2. परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत नये चिकित्सकों को पैनल में शामिल (Empanelment) किये जाने पर विचार।
3. परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत लोक–निजी–भागीदारी मॉडल के तहत नई एजेंसी को पैनल में सम्मिलित करने के संबंध में विचार।
4. एफ0पी0आई0एस0 (Family Planning indemnity scheme - FPIS) के तहत विफल परिवार कल्याण सेवाओं के विरूद्ध दावाकर्ता लाभार्थियों के दावे पर विचार।
5. अन्यान्य (अध्यक्ष महोदय की अनुमति से)

उपरोक्त के आलोक मे सभी बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। चर्चा के दौरान प्रस्तुत विभिन्न सुझावों और विचारों के आधार पर निम्नलिखित निर्णय/निर्देश एवं प्रस्ताव पारित किये गये :–

1. **जिला कोचिंग टीम के पूर्नगठन पर विचार :–** समिति को बताया गया कि जिला में जिला गुणवत्ता यकीन समिति के अन्तर्गत गठित जिला कोचिंग टीम में जिला में पूर्व मे कार्यरत सहयोगी संस्था केयर इंडिया के टीम लीडर को सदस्य नामित किया गया था, लेकिन वर्तमान में जिले में केयर इंडिया के स्थान पर पिरामल स्वास्थ्य अपनी सेवाएँ दे रही है। प्रस्तावित किया गया कि जिला कोचिग टीम में पिरामल स्वास्थ्य के प्रतिनिधि को केयर इंडिया के प्रतिनिधि के स्थान पर जिला कोचिंग टीम मे सदस्य के रूप मे शामिल किया जाए, जिसे समिति द्वारा सर्व सम्मति से स्वीकृत कर लिया गया।

District level-Coaching Team का संयोजन निम्नवत है:–			
क्र0 सं0	समिति के सदस्य (जिला स्तर)	पद का नाम	
1	मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी	अध्यक्ष	Position Holder
2	जिला परिवार कल्याण पदाधिकारी	सदस्य	Position Holder
3	प्रसूति रोग विशेषज्ञ, सदर अस्पताल	सदस्य	Dr. Madhu
4	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी	सदस्य	Position Holder
5	जिला सलाहकार गुणवत्ता यकीन	सदस्य	Position Holder
6	प्रतिनिधि – UNICEF	सदस्य	SMC
7	प्रतिनिधि – Piramal Swasthya	सदस्य	Program Leader, Piramal Swasthya

इसी क्रम में जिला गुणवत्ता यकीन समिति द्वारा जिले के स्वास्थ्य केन्द्रो मे गुणवत्ता संबंधी कार्यों में शिथिलता पर चिंता प्रकट करते हुए निर्देशित किया गया की जिले के चिन चार स्वास्थ्य संस्थान ब्रम्हपुर, सिमरी, सदर अस्पताल बक्सर तथा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बक्सर को [illegible] [illegible]

Scanned with CamScanner

संचिका में संलग्न जांच समिति के जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र इटाढी के दोनों लाभार्थियों का दावा नियमानुसार पाया गया है, तथा उपरोक्त सभी अभिलेख संचिका में संलग्न है, Family Planning Indeminity कमेटी की बैठक के प्रस्ताव के आधार पर ही राज्य स्तर से State Family Planning Indeminity कमेटी द्वारा क्षतिपूर्ती की राशि स्वीकृत की जानी है। परिवार कल्याण क्षतिपूर्ती योजना में महिला बन्ध्याकरण असफल होने की स्थिति में उल्लेखित 30,000 की क्षतिपूर्ती राशि के अतिरिक्त बिहार सरकार के द्वारा भी राज्यांश मद से समतुल्य राशि दिये जाने का संकल्प व्यक्त किया गया है। सभी अभिलेखों के अवलोकन एवं सम्यक विचारोपरान्त Family Planning Indeminity कमेटी द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया।

प्रस्ताव स0–1
बक्सर जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, इटाढी खुशबु कुमारी, ग्राम – रसुलपुर, प्रखण्ड – इटाढी तथा रेखा देवी, ग्राम – हरपुर, प्रखण्ड इटाढ़ी का महिला बन्ध्याकरण असफल हुआ है, अतः बक्सर जिला Family Planning Indeminity sub-committee द्वारा पीड़ीत परिवार को Family Planning Indeminity scheme 2016 के Section 1A में निहित प्रावधानों के अनुसार 30,000 रू0 की राशि प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।

प्रस्ताव स0–2
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत परिवार नियोजन क्षतिपूर्ती योजनान्तर्गत दी जानेवाली राशि के समतुल्य बिहार सरकार द्वारा भी राशि देने का संकल्प जारी किया गया है। अतः बक्सर जिला Family Planning Indeminity sub-committee द्वारा पीड़ीत परिवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत परिवार नियोजन क्षतिपूर्ती योजनान्तर्गत दी जानेवाली राशि के समतुल्य राशि प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।

प्रस्ताव स0–3
निर्णय लिया गया कि बक्सर जिला Family Planning Indeminity sub-committee के बैठक की कार्यवाही के साथ आवश्यक सभी दस्तावेजों की सत्यापित प्रति सिविल सर्जन, बक्सर द्वारा राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, परिवार कल्याण, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु निबंधित डाक से भेज दी जाए।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त घोषित की गई।

16/12/24

सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति, बक्सर

जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष
जिला स्वास्थ्य समिति, बक्सर

ज्ञापत स0 1198'B' बक्सर/दिनांक 16/12/24
प्रतिलिपि : कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं योग्य कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/24

जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष
जिला स्वास्थ्य समिति, बक्सर

Scanned with CamScanner